सुमन बनाम सरकार

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	53/2020 आज्ञा विस्तृत रुप से
	20/3/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली अनुसार दिनांक 2/5/24 को पेश हो।
	2/5/2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप. पत्रावली बाबत बहस हेतु दिनांक 3/5/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	3/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप. ... वकील प्रार्थी लिखित बहस ... 11/5/2024 को पेश ... बाबत आदेश हेतु उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	11/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. पूर्व आदेश अनुसार 7/6/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	7/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ... प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ... किया जाता है ... पत्रावली ... जाकर शामिल पत्रावली किया जाय ... निर्मल कुमार ... 4 ... दिनांक ... उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:58:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
...त्र संख्या : 43/2020
...दिनांक : 07.06.2024

...ति सुमन देवी धर्मपत्नी सतीश चन्द अजमेरा जाति जैन पता– एच–10, चितरंजन ... सी–स्कीम, जयपुर

प्रार्थीया

बनाम

...राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

...उर्मिला देवी गोलेछा धर्मपत्नी स्व० श्री विमल चन्द गोलेछा जाति ओसवाल पता सी–23, भगवान दास रोड, सी–स्कीम, जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर ...ला जयपुर में कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 205 रकबा 0.4200 हैक्टयर एंव खसरा ...र 206 रकबा 0.3260 हैक्टयर कुल किता 02 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा ...460 हैक्टयर स्थित है, जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीया के ...म से अंकित है। तुलनात्मक पत्र (मिलान क्षेत्रफल) के अनुसार उक्त वर्णित हाल ...सरा नम्बर 205 व 206 के गत मूल खसरा नम्बर 134 के गत बटा खसरा नम्बर ...4/1 व 134/2 व 134/491 रहे हैं। प्रार्थीया ने गत खसरा नम्बर 134 रकबा 6 ...घा 9 बिस्वा में से हिस्सा 26/129 का रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एंव खसरा नम्बर ...4/491/531/533 रकबा 14 बिस्वा इस प्रकार कुल रकबा 2 बीघा भूमि जरिये ...क विक्रय पत्र दिनांकीत 16–08–1980 द्वारा इसके पूर्व स्वामी एंव खातेदार श्री ...गालाल पुत्र श्री भूराराम जाति जाट से क्रय किया है तथा इस विक्रय पत्र का ...जीयन कार्यालय उप पंजीयक सांगानेर के यंहा पर दिनांक 22–09–1980 को किया ...आ है तथा इस विक्रय पत्र के आधार पर क्रयशुदा भूमि नामान्तरकरण भी प्रार्थीया के ...म से राजस्व रिकार्ड में खुल गया तथा उसका अमल भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ... किया जा चुका है। दौराने सैटलमेन्ट राजस्व अधिकारीयों एंव कर्मचारीयों द्वारा ...हवनवश एंव लापरवाही बरतते हुए प्रार्थीया की क्रयशुदा भूमि, जिसका सही रकबा ...5060 हैक्टयर होता है, के स्थान पर रकबा बढाते हुए रकबा 0.7800 हैक्टयर अंकित कर दिया तथा तुलनात्मक पत्र (मिलान क्षेत्रफल) में ... मिलान नहीं कर ... जबकि उक्त बढा प्रार्थीया की भूमि का रकबा लगभग 0.27... खातेदारी में हुआ रकबा प्रार्थीया की पडौसी काश्तकार ... लापरवाही बरतते हुए सम्मिलित किया जाना था, सैटलमेन्ट कार्यालय के ... 0.27... हैक्टयर को प्रार्थीया की अप्रार्थी संख्या दो हक व कब्जे काश्त की भूमि रकबा ... उसकी क्रयशुदा भूमि कुल खातेदारी में दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया के नाम केवल उसकी क्रयशुदा भूमि कुल रकबा 0.5060 हैक्टयर ही दर्ज की जानी चाहिए थी। प्रार्थी के कब्जे व खातेदारी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:58:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

सरा नम्बर 205 में से मिन रकबा 0.0200 हैक्टयर एंव खसरा नम्बर 206 में से मिन कबा 0.0140 हैक्टयर भूमि सडक हेतु आवाप्त कर ली गयी है तथा खसरा नम्बर 5 में से बटा खसरा नम्बर 205/1 रकबा 0.0200 हैक्टयर एंव बटा खसरा नम्बर 6 में से मिन रकबा 0.0140 हैक्टयर इस कुल रकबा 0.0340 हैक्टयर प्रार्थीया की तेदारी में से कम करके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नाम से दर्ज कर दी गयी है तथा उक्त आवाप्तशुदा भूमि कुल रकबा 0.0340 टयर का मुआवजा भी प्रार्थीया द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में र्थीया की क्रयशुदा एंव कब्जेशुदा भूमि में से आवाप्तशुदा भूमि कम करने के पश्चात् र्थीया के कब्जे एंव अधिकार की कुल भूमि रकबा 0.4720 हैक्टयर की खातेदारी ही र्थीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिए किन्तु वर्तमान में प्रार्थीया के म से कुल रकबा 0.7460 हैक्टयर दर्ज है, जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में वश्यक एंव उचित है तथा दौराने सैटलमेन्ट हुई लिपकिय त्रृटि को दुरूस्त कर न खसरा नम्बर 205 एंव खसरा नम्बर 206 का सही कुल रकबा 0.4720 हैक्टयर मान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया के नाम अंकित किया जाना आवश्यक एंव चत है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 205 व 206 के सही रकबा 0.4720 हैक्टयर पूर्ण, जो कि मुख्य सडक अजमेर रोड से लगते हुए है, की एकमात्र स्वामी एंव बिज प्रार्थीया स्वंय है, जिसकी प्रार्थीया कय करने के दिन से ही लगातार उपयोग उपभोग कर रही है। उपरोक्त वर्णित भूमि तसरा नम्बर 205 व 206 के सही रकबा .720 हैक्टयर सम्पूर्ण की वर्तमान खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया के म से दर्ज की जानी चाहिए थी तथा इसमें अधिक दर्ज भूमि कुल रकबा 0.2740 टयर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या दो के नाम से दर्ज खसरा नम्बर 204, 4/1693, 203 आदि नम्बरों का भाग है, अप्रार्थी संख्या दो के नाम से दर्ज होनी हिए, अप्रार्थी संख्या एक ने सहवनवश, लापरवाही बरतते हुए तथा अंकन की पिकीय भूल करते हुए राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया की कयशुदा भूमि के ान पर गलत इन्द्राज करते हुए रकबा बढा दिया तथा अप्रार्थी संख्या दो की भूमि ा रकबा कम कर दिया, जो गलत है, जिसको राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्त रमाया जाना आवश्यक एंव उचित है। प्रार्थीया द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी को रूस्त कर अपना सही रकबा अंकित किये जाने बाबत अप्रार्थी संख्या एक से कई र निवेदन कर चुकी है किन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त गलत न्द्राजात को दुरूस्त किये जाने की कोई कार्यवाही नही की गई है और अप्रार्थी ख्या एक ने प्रार्थीया से दिनांक 02–03–2020 को कहा कि उक्त गलत इन्द्राजात् ो दुरूस्ती श्रीमान् एस. डी. ओ. साहब के आदेश से ही की जा सकती है, ऐसी थति में प्रार्थीया द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि खसरा नम्बर 205 व ०6 के रकबा बाबत हुए गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर प्रार्थीया का नाम खसरा म्बर 205 व 206 का सही रकबा 0.4720 हैक्टयर अंकित किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना त्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:58:26 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र म[illegible] पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या [illegible] 205 रकबा 0.42 हैक्टयर एंव खसरा नम्बर 206 रकबा 0.3260 हैक्टयर वाके ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत हुए गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर उक्त खसरा नम्बर 205 व 206 का सही रकबा 0.4720 हैक्टयर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये । अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद रजिस्टर नोटिस को उपस्थित नही होने पर उनके रूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सांगानेर क ओर से जवाब प्रस्तुत ी किया गया।

बहस प्रार्थी एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया कर प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 0.42 हैक्टयर एंव खसरा नम्बर 6 रकबा 0.3260 हैक्टयर वाके ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर उक्त खसरा नम्बर 205 व 206 का सही रकबा 1720 हैक्टयर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया के नाम से दर्ज ये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। तथा प्रार्थीया के नाम से म हुये रकबे के सम्बन्ध में जॉच कर सम्बन्धित खातेदार के नाम दर्ज की जावे। देश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल मार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:38:26 IST
Reason: SelfAttested